न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 113/2024 राजस्व वाद

1. गेहरी लाल पुत्र श्री अम्बा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रोशन लाल पुत्र श्री अम्बा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार – अधिवक्ता प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 24/02/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1995 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1998 रकबा 0.3035 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.1129 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादीगण एवं मोहनी पत्नी श्री किशन लाल महाजन के नाम पर दर्ज है। खातेदार मोहनी पत्नी श्री किशन लाल महाजन का आज से करीब 50 वर्ष पूर्व लाऔलाद फोत हो चुकी है, जिसके निकटतम व प्रथम श्रेणी के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी वादीगण ही है व वादीगण उक्त आराजीयात पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने मे लाखो रूपये खर्च किये है। वादीगण ही खातेदार मोहनी के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। वादीगण ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड मे मोहनी का नाम विलोपित करा उसके हक हिस्से की जगह वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आराजियात को अकेले अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा बार बार टालमटोल करते चले आ रहे है। वादीगण मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है, खातेदार मोहनी का नाम विलोपित करा वादीगण खातेदार काश्तकार घौपित होने के अधिकारी है। वादीगण का खातेदारी मोहनी के हक हिस्से पर विगत 50 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है,। वादीगण द्वारा दिनांक 01 एक जुलाई 2024 दो हजार चौबीस को प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा साफ तौर इंकार कर दिया व सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी गयी। सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1995 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1998 रकबा 0.3035 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.1129 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे खातेदार मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन का नाम विलोपित

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

करा , वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित कराया जावे तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व मृतक खातेदार की भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु हर खास आम को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराने हेतु जरिये अखबार मे सूचना के जरिये प्रकाशन करवाया गया. प्रतिवादी राज्य सरकार का हक अधिकार प्रभावित नही होने से व मामले मे जवाब पेश नही किया गया व जवाब बंद किया गया व वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र व कब्जे बावत स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये व साथ वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व , अखबार प्रकाशन की प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण ही खातेदार मोहनी के विधिक वारीस होने से उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, मामले मे हर खास व आम को वादीगण के नाम पर भूमि दर्ज करने मे आपति आमंत्रित करने पर भी आपत्ति पेश नही हुई है। वादीगण के शपथपत्र अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है व खातेदार मोहनी के विधिक वारीस है। अतः खातेदार मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन का नाम विलोपित करा , वादीगण को वादग्रस्त भूमि मे खातेदार मोहनी के हक हिस्से का समान रूप से खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1995 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1998 रकबा 0.3035 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.1129 हैक्टयर भूमि से खातेदार मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन सा. देह का नाम विलोपित किया जाकर मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन का सम्पूर्ण हक हिस्सा का वादीगण को समान रूप से खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे । इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

मुकदमा नम्बर 113/2024 राजस्व वाद

1. गेहरी लाल पुत्र श्री अम्बा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. रोशन लाल पुत्र श्री अम्बा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–––

वादीगण की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 24/02/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1995 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1996 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1997 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1998 रकबा 0.3035 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.1129 हैक्टयर भूमि से खातेदार मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन सा. देह का नाम विलोपित किया जाकर मोहनी पत्नी किशन लाल महाजन का सम्पूर्ण हक हिस्सा का वादीगण को समान रूप से खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे । इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)